

FIROZABAD POLICE



प्रेस नोट

स्वॉट टीम व नगला खंगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31-05-2021 की रात्रि को नगला जोरे में सर्वेश की हुई हत्या का सनसनीखेज सुलासा।

- ➤ मुकदमे में वादी पत्नी सरोज ने ही अपने प्रेमी गोलू उर्फ गौतम संग मिलकर की थी अपने पति सर्वेश की हत्या।
- 🗲 शादी के समय पति पत्नी के बीच ज्यादा उम्र का अंतर एवं शराब द्वारा पति द्वारा पत्नी से मारपीट व ज्यादा बंदिशें लगाने की वजह बनी हत्या का कारण।
- ≽ पत्नी सरोज के अवैध सम्बन्ध भी बने हत्या का एक कारण।
- > पत्नी सरोज द्वारा अपने प्रेमी को फोन के माध्यम से कॉल कर हत्या के लिए बुलाया गया था अपने घर ।
- 🗲 दोनों ने तिकये मूँह पर रखकर व प्रेमी गोलू द्वारा गला दबाकर की गयी थी सर्वेश की हत्या।
- 🗲 पत्नी द्वारा अपने जेठ, देवर व उसके लड़के के विरूद्ध नामजद करायी गयी थी एफआईआर।
- > स्वॉट एव नगला खंगर पुलिस टीम की अथक मेहनत व ठोस साक्ष्य संकलन ने बेगुनाहों को जेल जाने से बचाया।

दिनांक 03-06-2021 को जनपद फिरोजाबाद के थाना नगला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नगला जोरे में एक व्यक्ति सर्वेश कुमार पुत्र नाथूराम की हुई हत्या के सम्बन्ध में थाना नगला खंगर पर मु0अ0सं0 88/2021 धारा 302,323,506 भादवि बनाम 1-राजनसिंह, 2-दीवानसिंह, 3-रामपाल पुत्रगण नाथूराम, 4-अनुज पुत्र दीवान सिंह निवासीगण नगला जोरे थाना नगला खंगर फिरोजाबाद के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मामले के सफल अनवारण हेतु स्वॉट टीम को लगाया गया जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में स्वॉट टीम द्वारा 07 दिनों तक नगला जोरे में कैम्प किया गया जिसमें गहन छानबीन के बाद नया सनसनीखेज खुलासा सामने आया। स्वॉट टीम एवं नगला खंगर पुलिस टीम द्वारा ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर सामने आया कि मृतक सर्वेश की हत्या उसकी पत्नी सरोज उम्र 30 वर्ष पुत्री किशनपाल निवासी राजा का ताल थाना टूण्डला व सरोज के प्रेमी गोलू उर्फ गौतम पुत्र भारतसिंह निवासी नगला जोरे द्वारा की गयी है। स्वॉट टीम व थाना नगला खंगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10-06-2021 को मृतक सर्वेश की पत्नी व उसके पित गोलू को गढिया पंचवटी के पास एक्सप्रेस वे पुल के ऊपर से गिरफ्तार कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरणः-

गिरफ्तारशुदा दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर मृतक की पत्नी सरोज द्वारा बताया गया कि मेरी शादी वर्ष 2007 में 15 वर्ष की उम्र में कर दी गयी थी उस समय मेरे पित की उम्र 33 वर्ष थी। मेरा पित मुझे आए दिन शराब पीकर मारपीट करता था एवं घर से बाहर निकलने व पड़ोस में बातचीत करने पर बंदिश लगाए हुए था जिसके कारण मैंने अपने प्रेमी गोलू के साथ मिलकर अपने पित सर्वेश को मारने की योजना बनाई। योजना के तहत दिनांक 31-05-2021 की रात्रि को समय करीब 11.00 बजे से 11.30 बजे के मध्य मेरे द्वारा अपने प्रेमी गोलू को फोन करके अपने घर बुला लिया गया। हम दोंनों ने योजनाबद्ध तरीक से मेरे द्वारा सर्वेश के हाथ दबाकर सर्वेश के मूँह को तिकया से दबा दिया एवं मेरे प्रेमी गोलू द्वारा सर्वेश का गला दबा दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मेरे करीब 08 माह से प्रेमी गोलू से शारीरिक सम्बन्ध हैं व इसी ग्राम के एक अन्य व्यक्ति से भी पिछले 08 वर्ष से सम्बन्ध हैं। सरोज द्वारा बताया गया कि मेरे साथ दिनांक 28-05-2021 को राजनसिंह, दीवान सिंह, अनुज उपरोक्त द्वारा मेरे साथ मारपीट की गयी थी जिसके कारण मेरे द्वारा आवेश में आकर अपने पित की हत्या का इल्जाम इनके उपर लगा दिया गया था। साथ ही गोलू उर्फ गौतम द्वारा भी बताया गया कि मेरे सरोज सम्बन्ध थे, हम दोनों ने मिलकर सर्वेश की गला दबाकर हत्या की थी।

निष्कर्ष:- इस प्रकार निष्पक्ष कार्यवाही कर गम्भीरता से साक्ष्य संकलन करने के परिणामस्वरूप 04 नामित आरोपी जो निर्दोष थे और उनको योजनाबद्ध तरीके से धारा 302 भादवि में फँसाने का प्रयास किया गया था, जेल जाने से बच गए। दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1-मृतक की पत्नी सरोज पुत्री किशनपाल निवासी राजा का ताल थाना टूण्डला फिरोजाबाद।

2-गोलू उर्फ गौतम पुत्र भारत निवासी नगला जोरे थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगीः-

1-तिकया (आला कत्ल)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री लालता प्रसाद थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।
- 2-उ0नि0 श्री अनिल कुमार प्रभारी स्वॉट टीम जनपद फिरोजाबाद।
- 3-उ0नि0 श्री सोबरन सिंह थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।
- 4-है0का0 785 सुबनेश, 5- का0 1116 योगेश, 6-का0 179 मोहनश्याम स्वॉट टीम जनपद फिरोजाबाद।
- 7-का० ९७७ जयप्रकाश, ८--चा०का० भगवान सिंह स्वॉट टीम जनपद फिरोजाबाद।
- 9-है0का० ६३७ रामू, १०-का० ३१ आकाश यादव थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।
- 11-का० 955 राहुल चौधीर, 12-म0का० 232 नीशु थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।-

नोट:- ठोस साक्ष्यों के आधार पर मर्डर का सफल अनावरण करने वाली स्वॉट एवं नगला खंगर पुलिस टीम को विरष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री अशोक कुमार द्वारा 20000 रूपये के नकद इनाम से पुरष्कृत किया गया है।